

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

मुकदमा नम्बर 02/2018

दायर दिनांक 10.07.2018

—: अनवान:—

1. उदा पिता भूरा जाति बलाई निवासी मोहनपुरा तहसील माण्डलगढ़

(प्रार्थी)

बनाम

1. नन्दा पिता मोहन जाति बलाई निवासी मोहनपुरा तहसील माण्डलगढ़

2. मोहन पिता नाना जाति बलाई निवासी मोहनपुरा तहसील माण्डलगढ़

3. मांगी पत्नी मोहन जाति बलाई निवासी मोहनपुरा तहसील माण्डलगढ़

(अप्रार्थीगण)

अधिवक्ता प्रार्थी श्री विनोद कुमार मारु अधिवक्ता अप्रार्थीगण श्री देवेन्द्र कुमार पोरवाल

निर्णय दिनांक 05.09.2019

निर्णय

पत्रावली पेश हुई पक्षकारान के अधिवक्तागण उपस्थित है। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी उदा पिता भूरा जाति बलाई निवासी मोहनपुरा तहसील माण्डलगढ़ पेशा कृषि ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया है कि उसके नाम ग्राम दोल जी का खेडा पटवार हल्का मोहनपुरा तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में स्थित आराजी न0 537/295 रकबा 4 बीघा भूमि स्थित है। जो कि खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण ने पटवारी हल्का मोहनपुरा के आराजियात ग्राम दोल जी का खेडा की आराजी न0 537/295 रकबा 4 बीघा भूमि पर जबरन कब्जा कर रखा है। उक्तानुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी रा0 टि0 ए0 के तहत दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नियमानुसार जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार पोरवाल ने जवाब पेश किया तथा जवाब में बताया कि अप्रार्थीगण का कब्जा 50 वर्षों से चला आ रहा है। उसके पश्चात भू0 अभि0 नि0 द्वारा मौका रिपोर्ट मंगायी गयी। भू0 अभि0 नि0 की रिपोर्ट 23.07.2019 में विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा होना बताया। इसके पश्चात प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थी उदा के बयान कराये जिसमें विवादित भूमि उसके खाते की होकर अप्रार्थीगण द्वारा साल-सवासाal पूर्व अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा करना बताया है। इसके



C:\Users\RCMS & LITES\Desktop\shiv 183 B.docx

31 | Page

तहसीलदार
माण्डलगढ़

पश्चात अप्रार्थीगण ने अपनी शहादत में अप्रार्थी नन्दा व गवाह मांगीलाल गुर्जर व भूरा भील के बयान कराये जिन्होंने सभी आराजीयात पर कब्जा 50 साल से होना लिखाया जिरह में अप्रार्थी नन्दा व गवाह मांगी लाल गुजर व भूरा भील ने अपने बयान मे किस भूमि पर कितनी जमीन पर कब्जा है यह नहीं बताया व भूमि किस किस को अलॉट हुयी यह भी उनको जानकारी नहीं है विवादग्रस्त जमीन के पडौसी नहीं है। अप्रार्थीगण ने कब्जे के सबुत में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये। तथा जिन गवाहो को पेश किये वह भी अन्य गांव के है। इसके पश्चात प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने अपनी शहादत बन्द की इसके पश्चात प्रार्थी व अप्रार्थीगण के अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी जिसमें प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान यह दर्शाया की प्रार्थी खातेदार है तथा अप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि पर अवैध कब्जा किया गया जो प्रार्थी के बयान व भू0अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट से पूर्णतः साबित है। तथा यह भी बताया की अनुसूचित जाति की भूमि पर अन्य किसी भी व्यक्ति का कब्जा न्यायोचित नहीं है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने सभी भूमि पर 50 साल से कब्जा अप्रार्थीगण का होना बताया किन्तु कब्जे बाबत कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किये। इसके पश्चात मैरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि प्रार्थी के खातेदारी की है। व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि पर कब्जा किया जाना स्पष्ट है। एसी स्थिति में अप्रार्थीगण का विवादग्रस्त आराजी नम्बन 537/295 रकबा 4 बीघा भूमि से अप्रार्थीगण का कब्जा हटाया जाना न्यायोचित है।

आदेश

ग्राम दोल जी का खेडा पटवारी हल्का मोहनपुरा तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में स्थित आराजी न0 237/295 रकबा 4 बीघा भूमि का कब्जा अप्रार्थीगण का हटाया जाकर प्रार्थी को सुपुर्द किए जाने का निर्णय पारित किया जाता है। इस बाबत संबंधित भू0अभिलेख निरीक्षक को अलग से तहरीर जारी की जावे। पत्रावली बाद दाखिला सुमार फैसल हो। नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.09.2019 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले इजलास मे सरे-आम सुनाया गया।



(गोवर्धन लाल बरवा)
 तहसीलदार
 माण्डलगढ़
 जिला भीलवाड़ा